



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

रिक्ति अधिसूचना संदर्भ संख्या सीएसएल/पीएंडए/भर्ती/ अनुबंध/ऑटो इलेक्ट्रीशियन/2026/8

दिनांक 26 जून 2026

भारत सरकार की सूचीबद्ध प्रमुख मिनिरल अनुसूची 'ए' कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) सीएसएल के लिए अनुबंध के आधार पर ऑटो इलेक्ट्रीशियन के निम्नलिखित पदों को भरने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है:-

I. पद का नाम, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव :

तालिका 1

पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव
सीएसएल के लिए अनुबंध के आधार पर ऑटो इलेक्ट्रीशियन	एसएसएलसी और आईटीआई में पास - मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स (एमएईई) या मैकेनिक मोटर वाहन के ट्रेड में एनटीसी (राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र)।	मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) आधारित सेवा केंद्रों जैसे मारुति, रेनॉल्ट, हुंडई, वोल्टास, एस्कॉर्ट्स, टाटा, भारत-बेज आदि में योग्यता के बाद न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव या सशस्त्र बलों में समकक्ष अनुभव।

II. महत्वपूर्ण तिथियां :

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत : 30 जून 2026

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 22 जुलाई 2026

III. रिक्तियों और आरक्षण की संख्या :

तालिका 2

पद का नाम	अनारक्षित	अ.पि.व.	कुल
सीएसएल के लिए अनुबंध के आधार पर ऑटो इलेक्ट्रीशियन	1	1	2



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- क. सीएसएल अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/घटाने या किसी भी रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- ख. बेंचमार्क दिव्यांगवाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षण भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

IV. अनुबंध की अवधि एवं तैनाती का स्थान :

- (क) उपरोक्त पद का अनुबंध कार्यकाल परियोजना की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत प्रदर्शन के अधीन अधिकतम **पांच वर्ष** की अवधि के लिए है।
- (ख) तैनाती सीएसएल/सीएसएल की इच्छानुसार किसी अन्य सीएसएल इकाइयों/परियोजना स्थलों पर होगी। हालांकि, परियोजना की आवश्यकताओं के आधार पर, उम्मीदवार सीएसएल की विभिन्न इकाइयों के भीतर स्थानांतरित होने के लिए उत्तरदायी हैं। पद पर नियुक्ति के साथ सीएसएल के किसी भी विभाग में या ऑन-बोर्ड पोतों पर या भारत के किसी भी हिस्से में या विदेश में शुरू की गई किसी भी इकाई/कार्य स्थल/परियोजनाओं में सेवा करने का दायित्व होता है।

V. पारिश्रमिक :

- (क) अनुबंध के पहले वर्ष के दौरान मासिक समेकित वेतन ₹ 23,300/- है, और बाद के वर्षों में वार्षिक वृद्धि लागू होगी। वे सामान्य कार्य घंटों से परे अतिरिक्त कार्य घंटों के लिए भी पात्र होंगे।
- (ख) सीएसएल या अन्य समान शिपयार्ड में न्यूनतम आवश्यक अनुभव से अधिक, ऑन-रोल पूर्ण किए गए प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए, उम्मीदवारों को उच्च वेतन की पेशकश की जा सकती है।

VI. आयु :

- (क) सभी पदों के लिए निर्धारित उच्चतम आयु सीमा 22 जुलाई 2026 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात् आवेदकों का जन्म 23 जुलाई 1981 को या उसके बाद होना चाहिए।
- (ख) अन्य पिछड़े वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जा सकती है।
- (ग) बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष तक रहेगी।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

VII. चयन की रीति :

- (क) चयन की विधि **प्रायोगिक परीक्षा (100 अंक)** के माध्यम से होगी।
- (ख) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल विभिन्न पदों के लिए आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों की लघुसूची तैयार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और केवल ऐसे लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।
- (ग) जो उम्मीदवार सफलतापूर्वक प्रमाण पत्र सत्यापन पूरा करते हैं, उन्हें प्रायोगिक परीक्षा में भाग लेने के लिए लघुसूचीगत किया जाएगा, जो सीएसएल, कोच्ची में आयोजित की जाएगी।
- (घ) प्रायोगिक परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निम्नानुसार होंगे :-
अनारक्षित पद के लिए – प्रायोगिक परीक्षा के कुल अंकों का 50 %,
अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए – अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रायोगिक परीक्षा के कुल अंकों का 45 %,
पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए – प्रायोगिक परीक्षा के कुल अंकों का 40 %
- (ङ) यदि योग्य उम्मीदवारों की संख्या अपर्याप्त है तो सीएसएल न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में छूट दे सकता है।
- (च) चयन, पात्रता आवश्यकताओं (आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण आदि) के सत्यापन के अधीन होगा जिसके लिए उम्मीदवार को प्रमाण पत्र सत्यापन के समय आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आरक्षण श्रेणियों के प्रमाण के रूप में मूल प्रमाण पत्र और स्व-सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी, अन्यथा उन्हें आगे के चयन के लिए नहीं माना जाएगा।
- (छ) पद के लिए रैंक सूची अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी और जो प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो आयु में वरिष्ठता के आधार पर सापेक्ष योग्यता का निर्णय लिया जाएगा।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्टरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

VIII. शर्तें :

(क) आरक्षण

- (i) आरक्षण पर भारत सरकार के निर्देश लागू होंगे।
- (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) से संबंधित आवेदकों को तहसीलदार से कम पद के न होने वाले राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी वैध एवं नवीनतम जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी आरक्षित पद के सामने तथा उक्त श्रेणी के लिए लागू अन्य रियायतों/छूटों के लिए विचारणीय नहीं होगी।
- (iii) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, दिव्यांगता की डिग्री न्यूनतम 40% होनी चाहिए। आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में इस प्रभाव का एक वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(ख) योग्यता

- (i) सभी पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण/राज्य/केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।
- (ii) जिन आवेदकों के पास निर्धारित योग्यताओं में से किसी के बराबर योग्यता है, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाण पत्र जमा करना होगा और ऐसे प्रमाण पत्र के बिना उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) अनुभव

- (i) उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद अर्जित अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि 22 जुलाई 2026 को गिनी जाएगी।
- (ii) शिक्षु अधिनियम 1961 के तहत संगत ट्रेड में पूर्ण शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि और पारिश्रमिक के साथ किसी भी प्रशिक्षण को पद के लिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से अनुभव माना जाएगा। हालाँकि, ऐसे प्रशिक्षण को प्रति माह समेकित पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा।
- (iii) जो आवेदक वर्तमान में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकार) में कार्यरत हैं, अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में, कंपनी द्वारा जारी नियुक्ति/प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची/अनुभव के प्रमाण के रूप में अंतिम वेतन आहरण की प्रति प्रस्तुत करें। पिछले रोजगार के लिए, नियुक्ति की तिथि के साथ-साथ कार्यमुक्त करने का अनुभव दर्शाने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्टरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए अनुभव को स्थापित करने के लिए सभी प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करने चाहिए, अन्यथा उन्हें आगे चयन के लिए नहीं माना जाएगा।

- (iv) जो आवेदक भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें सशस्त्र बलों से कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र/बुक/पेंशन भुगतान आदेश जमा करना होगा। ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के पास अपने कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र/बुक में पृष्ठांकित योग्यता होने के साथ सशस्त्र बलों में संगत ट्रेड में कार्य अनुभव होना चाहिए। सेवा अवधि के दौरान अर्जित ऐसी योग्यता को योग्यता के बाद के अनुभव की गणना के लिए भी माना जाएगा। योग्यता की समकक्षता का दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राधिकारी के साथ उसी के कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र में समकक्षता या पृष्ठांकन का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश देखें), अनुभव के प्रमाण के रूप में सशस्त्र बलों में संगत ट्रेड में योग्यता और कार्य अनुभव दर्शाने वाले प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए और प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उसी को प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (v) आवेदकों को स्पष्ट रूप से कार्य की प्रकृति और संबंधित नौकरियों में संभाले गए कर्तव्यों, जिम्मेदारियों के साथ-साथ अनुभव प्रमाण पत्र को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, जो अधिसूचित पद के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अपलोड किया जाएगा।

(घ) आवेदन शुल्क

- (i) ₹ 300/- (गैर वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) का आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग) के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, जिसे हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से 30 जून 2026 से 22 जुलाई 2026 तक एक्सेस किया जा सकता है। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ii) अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)/बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित आवेदकों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- (iii) जिन सभी आवेदकों के लिए शुल्क लागू है, अर्थात् एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित लोगों को छोड़कर, उन्हें उपरोक्त खंड में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। **यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।**



(ड) आवेदन कैसे करें

- (i) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले www.cochinshipyard.in (करियर पृ.→ सीएसएल, कोच्ची) लिंक में प्रकाशित उपयोगकर्ता मैनुअल और एफएक्यू को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आवेदन में दो चरण होते हैं - एक बार पंजीकरण और पद के लिए आवेदन जमा करना। आवेदकों को एक से अधिक आवेदन जमा नहीं करना चाहिए। एक बार आवेदन जमा करने के बाद अंतिम होगा।
- (ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आवेदक एसएपी ऑनलाइन पोर्टल में **एक बार पंजीकरण कर सकते हैं और अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।** आवेदन जमा करने की सुविधा हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in (करियर पेज → सीएसएल, कोच्ची) **30 जून 2026 से 22 जुलाई 2026 तक** एक्सेस की जा सकती है। **आवेदन सीधे या किसी अन्य माध्यम से जमा किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।**
- (iii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जाति आदि के प्रमाण के लिए सभी प्रमाण पत्र और हाल ही में ली गई पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में अपलोड की गई है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (iv) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सही ढंग से भरी गई हैं और आवेदन सफलतापूर्वक जमा किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन के अंतिम प्रस्तुति के बाद आवेदन में दिए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा/गलत विवरण भरने से आवेदन की अस्वीकृति हो सकती है।
- (v) इस विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार आवेदन सभी मामलों में पूर्ण होना चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदन/वापस लिए गए आवेदन/मसौदा स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।** आवेदन के सफल प्रस्तुतीकरण पर आवेदन की स्थिति **"इन प्रोसस"** दिखाई जाएगी। आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार को अपने आवेदन में लॉग इन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन की स्थिति **"इन प्रोसस"** है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। आवेदन के सफल प्रस्तुतीकरण या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क की कोई वापसी नहीं की जाएगी।
- (vi) **ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को अपने संदर्भ के लिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न विशिष्ट पंजीकरण संख्या वाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/मुद्रित प्रति अपने पास रखना चाहिए।** सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार के लिए ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या उद्धृत की जानी चाहिए।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिस्टरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- (vii) **आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति /प्रमाणपत्र/आवेदन शुल्क को डाक द्वारा चेक/चालान/चेक के माध्यम से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को भेजने की आवश्यकता नहीं है।**
- (viii) आवेदन जमा करने के उद्देश्य से वेबसाइट **30 जून 2026** से और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **22 जुलाई 2026** तक चालू रहेगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने के लिए, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले ही सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और आवेदन जमा करें। **जो लोग आवेदन की अंतिम तिथि पर आवेदन करते हैं, उन्हें अंतिम तिथि को 1600 बजे के बाद ईमेल/फोन द्वारा एसएपी एप्लिकेशन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।**

(च) सामान्य

- (i) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले सुनिश्चित करें कि वे पद के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।
- (ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा:- भूतपूर्व सैनिक एक व्यक्ति है
- (क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की है, और
- (i) जो या तो सेवानिवृत्त हो गया है या ऐसी सेवा से मुक्त हो गया है या छुट्टी दे दी गई है, चाहे वह अपने अनुरोध पर हो या नियोक्ता द्वारा उसकी पेंशन अर्जित करने के बाद मुक्त किया गया हो; या
- (ii) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से किसे मुक्त किया गया है और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगता पेंशन दिया गया है; या
- (iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से किसे मुक्त किया गया है;
- (ख) ऐसे सेवा से, अपनी इच्छा के बिना, या कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या छुट्टी के अलावा, विशिष्ट अवधि की नियुक्ति पूरी करने के बाद, किसे मुक्त किया गया है और उसे अनुदान दी गई है; और इसमें प्रादेशिक सेना के कर्मी शामिल हैं, अर्थात्, निरंतर शामिल सेवा या अर्हता सेवा के टूटे हुए स्पेल के लिए पेंशन धारक;
- (ग) सेना डाक सेवा के कर्मी जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापसी के बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, या सैन्य सेवा के कारण या सैन्य



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- सेवा या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त हो गए हैं और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगता पेंशन प्राप्तकर्ता हैं; या
- (घ) कार्मिक, जो 14 अप्रैल, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या
- (ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या
- (च) पूर्व-भर्ती हुए जो चिकित्सा आधार पर बाहर चले गए या राहत दिए गए और चिकित्सा दिव्यांगता पेंशन दी गई।
- (iii) सीएसएल उम्मीदवारों से उनके आवेदन में दर्शाई गई शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और ऐसी पूछताछ के उत्तर केवल ई-मेल के माध्यम से दिए जाने चाहिए। career@cochinshipyard.in तथा सीएसएल निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की प्राप्ति में किसी भी देरी/गैर-प्राप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसी किसी भी पूछताछ के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाण पत्रों को शामिल होने के समय या सीएसएल द्वारा तय किए गए किसी भी अन्य चरण में सत्यापित किया जाएगा। उम्मीदवारी पूरी तरह से अस्थायी है जो आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन है। प्रमाण पत्र सत्यापन/शामिल होने के समय, यदि लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत है या तथ्यों और सूचनाओं का दमन किया गया है, तो उम्मीदवार को चयन के लिए नहीं माना जाएगा और उम्मीदवारी/नियुक्ति को बिना किसी सूचना के रद्द/अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (v) **अयोग्यता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।**
- (vi) **चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा।**



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- (vii) **लघुसूचीबद्ध उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे।** उन्हें ई-मेल/सीएसएल वेबसाइट के माध्यम से बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए सीएसएल की वेबसाइट www.cochinshipyard.in से सूचित किया जाएगा। **चयन प्रक्रिया की अनुसूची लघुसूचीबद्ध आवेदकों को ई-मेल/सीएसएल वेबसाइट (करियर पेज → सीएसएल, कोच्ची) के माध्यम से सूचित की जाएगी।** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे चयन से संबंधित अद्यतनके लिए उपरोक्त वेबसाइट (करियर पेज → सीएसएल, कोच्ची) को बार-बार देखें।
- (viii) ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन जमा करने और चयन प्रक्रिया के लिए बुलावा पत्र जारी करने से उम्मीदवार को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति की पेशकश नहीं की जाएगी, और आवेदक को सीएसएल में रोजगार के लिए किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।
- (ix) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक विशिष्ट अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर हैं और चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या उसके बाद नियुक्ति की पेशकश करने के लिए सीएसएल उत्तरदायी नहीं है।
- (x) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच करना चाहिए। ऐसे चिकित्सा जांच की रिपोर्ट सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जाँची जा सकती है और उम्मीदवार की नियुक्ति चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणन के अधीन है।
- (xi) सीएसएल वेतन/छुट्टी वेतन/अनुदान/पेंशन योगदान आदि के कारण कोई दायित्व नहीं उठाएगा, यदि किसी उम्मीदवार का कोई पिछला रोजगार पहले से ही सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत है।
- (xii) पद के लिए रैंक सूची बनाई जाएगी और रैंक सूची की वैधता अवधि परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने के लिए सलाह दिए गए उम्मीदवारों की सूची से अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक या जब तक कि उसी पद के लिए एक नया अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, तक रहेगी। रैंक सूची का संचालन किया जा सकता है यदि रैंक सूची से शामिल होने के लिए सलाह दिए गए उम्मीदवार के शामिल न होने या रैंक सूची से चुने गए उम्मीदवार के बाद अलग होने के कारण रिक्ति होती है। रैंक सूची का उपयोग सक्षम प्राधिकारी से विशिष्ट अनुमोदन के साथ रैंक सूची की वैधता के दौरान उत्पन्न होने वाली भविष्य की रिक्तियों को भरने के लिए भी किया जा सकता है।
- (xiii) इस अधिसूचना में इंगित पदों की संख्या मौजूदा आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न होगी और रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल के विवेक पर उस रैंक सूची से भरा जाएगा।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्टरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- (xiv) उपरोक्त या किसी अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल रिक्तियों को भरने के लिए अधिसूचित नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरने के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और कार्य की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यकता होती है तो सीएसएल भर्ती प्रक्रिया को प्रतिबंधित/बदलने/रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (xv) आवेदन जमा करने पर आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों की बिना शर्त स्वीकृति मानी जाएगी।
- (xvi) चयनित उम्मीदवार को कार्यस्थल पर स्मार्ट फोन के उपयोग पर सीएसएल नीति का पालन करने के लिए एक वचन देना होगा।
- (xvii) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेजों को परिणाम प्रकाशित होने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।
- (xviii) इस विज्ञापन और/या उसके जवाब में आवेदन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल एर्णाकुलम में न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/मंचों में शुरू की जा सकती है और ऐसे न्यायालयों/प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा।
- (xix) इस विज्ञापन में कोई भी संशोधन, आशोधन या परिवर्तन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।
- (xx) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया ई-मेल career@cochinshipyard.in या दूरभाष सं. 0484 - 250 1221 के माध्यम से हमसे संपर्क करें।

“किसी भी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी ”

“केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करें ”

ह/-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं अध्ययन विकास)